"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जून 2009—आषाढ़ 4, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2009

अधिसूचना

क्रमांक 4171/फा-1-1/09/21-ब/छ. ग./2009.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, के परामर्श से तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9800/डी-4233/21-ब/छ. ग./07, दिनांक 19-11-2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उक्त अधिनियम, की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट राजस्व जिले में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है, जिसका कि मुख्यालय रायपुर होगा :—

क्रमांक (1)	राजस्व जिले का नाम (2)
1.	रायपुर
2.	दुर्ग
3.	राजनांदगांव
4.	बिलासपुर
5.	अम्बिकापुर (सरगुजा)
6.	बस्तर (जगदलपुर)
7.	कांकेर
8.	दंतेवाड़ा

(1)	(2)
9.	कबीरधाम (कवर्धा)
10.	महासमुंद
11.	कोरबा
12.	कोरिया
13.	धमतरी
14.	जांजगीर-चांपा
15.	रायगढ़
16.	जशपुर
17.	नारायणपुर
18.	बीजापुर

Raipur, the 18th June 2009

NOTIFICATION

No. 4171/F-1-1/09/21-B/C.G./2009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), in consultation with the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in supersession of this department's notification No. 9800/D-4233/21-B/C. G./07, dated 19-11-07, the State Government hereby appoints Shri Naresh Kumar Chandrawanshi, 1st Additional District & Sessions Judge, Raipur as Special Judge with the Head Quarters at Raipur for the area comprising of the revenue Districts specified below to try the cases in regards to offences specified in column (a) and (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation :—

No. (1)	Name of the Revenue District (2)
1.	Raipur
2.	Durg
3.	Rajnandgaon
4.	Bilaspur
5.	Ambikapur (Sarguja)
6.	Bastar (Jagdalpur)
7.	Kanker
8.	Dantewada
9.	Kabeerdham (Kawardha)
10.	Mahasamund
11.	Korba
12.	Koria
13.	Dhamtari
14.	Janjgir-Champa
15.	Raigarh
16.	Jashpur
17.	Narayanpur
18.	Bijapur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.